

एल-42- मूल्यन आधार (जीवन बीमा - व्यक्तिगत)

मूल्यन आधार पर अध्याय

ए. मूल्यन के लिए जरूरी पॉलिसी डाटा कैसे प्राप्त किया जाता है?

प्रत्येक पॉलिसी के मूल्यन के लिए जरूरी डाटा मण्डल कार्यालय में अनुरक्षित पॉलिसी मास्टर में शाखा वार निष्कर्षित किया जाता है। प्रत्येक पॉलिसी के लिए निष्कर्षित डाटा संगति के लिए जाँच किया जाता है तथा इस प्रयोजन के लिए विकसित सॉफ्टवेयर से मान्य किया जाता है। मान्य डाटा मण्डल कार्यालय में समेकित किया जाता है तथा आगे का समेकन क्षेत्रीय कार्यालय में उनके क्षेत्राधिकार के सभी कार्यालयों का किया जाता है। सभी फायलें केंद्रीय कार्यालय को आगे के प्रसंस्करण के लिए भेज दिया जाता है।

बी. मूल्यन आधार सिस्टम को कैसे प्रदान किया जाता है?

एक बार जब मूल्यन पैरामिटर निर्णित कर लिए जाते हैं, उसे सिस्टम में एक्सप्लिसिट पैरामिटर सृजन के लिए, सिस्टम के संगत रूप में, कुंजीयत कर दिया जाता है। संचिति निकालने का प्रोग्राम दो फायलों यथा पैरामिटर फाइल तथा पॉलिसी डाटा फाइल से इनपुट लेता है।

| I) ब्याज : प्रत्येक खंड के लिए ली गयी महत्तम तथा न्यूनतम ब्याज की दरें | 2017-18: 31.12.2017 को समाप्त तिमाही | |
|--|--|------------------|
| | महत्तम | न्यूनतम |
| 1. लाइफ - सहभागी पॉलिसियाँ | 8.00% प्रति वर्ष | 6.90% प्रति वर्ष |
| 2. लाइफ - असहभागी पॉलिसियाँ | 6.90% प्रति वर्ष | 6.90% प्रति वर्ष |
| 3. वार्षिकियाँ - सहभागी पॉलिसियाँ | 8.60% प्रति वर्ष | 6.90% प्रति वर्ष |
| 4. वार्षिकियाँ - असहभागी पॉलिसियाँ | 7.00% प्रति वर्ष | 7.00% प्रति वर्ष |
| 5. वार्षिकियाँ - व्यक्तिगत पेंशन प्लान | 7.70% प्रति वर्ष | 7.70% प्रति वर्ष |
| 6. युनिट लिंकड | 6.90% प्रति वर्ष | 6.90% प्रति वर्ष |
| 7. लिंकड हेल्थ | 6.90% प्रति वर्ष | 6.90% प्रति वर्ष |
| 8. नॉन-लिंकड हेल्थ | 6.50% प्रति वर्ष | 6.50% प्रति वर्ष |
| | | |
| II) मृत्यु दरें : प्रत्येक खंड के लिए प्रयुक्त मृत्यु दरें | 2017-18: 31.12.2017 को समाप्त तिमाही | |
| 1. लाइफ - सहभागी पॉलिसियाँ | आईएएलएम (2006-08) चरम का 135% | |
| 2. लाइफ - असहभागी पॉलिसियाँ | आईएएलएम (2006-08) चरम का 135% | |
| 3. वार्षिकियाँ - सहभागी पॉलिसियाँ | | |
| आस्थगन अवधि के दौरान | आईएएलएम (2006-08) चरम का 110% | |
| निहित होने के बाद | एलआईसी ए (1996-98) चरम 5 वर्ष कटौती के साथ | |
| 4. वार्षिकियाँ - असहभागी पॉलिसियाँ | | |
| आस्थगन अवधि के दौरान | आईएएलएम (2006-08) चरम का 110% | |
| निहित होने के बाद | एलआईसी ए (1996-98) चरम 5 वर्ष कटौती के साथ | |
| 5. वार्षिकियाँ - व्यक्तिगत पेंशन प्लान | | |
| आस्थगन अवधि के दौरान | आईएएलएम (2006-08) चरम का 110% | |
| निहित होने के बाद | एलआईसी ए (1996-98) चरम 5 वर्ष कटौती के साथ | |
| 6. नॉन-लिंकड हेल्थ (मृत्यु दर) | आईएएलएम (2006-08) चरम का 110% | |
| (अस्वस्थता दरें) | एचसीबी तथा एमएसबी :स्विस-री अस्वस्थता दर का 135% | |
| 7. युनिट लिंकड | आईएएलएम (2006-08) चरम का 135% | |
| 8. लिंकड हेल्थ (मृत्यु दर) | आईएएलएम (2006-08) चरम का 110% | |
| (अस्वस्थता दरें) | एचसीबी तथा एमएसबी :म्युनिक-री अस्वस्थता दर का 135% | |

| III) व्यय : | | 2017-18: 31.12.2017 को समाप्त तिमाही |
|--|--|--|
| 1. लाइफ - सहभागी पॉलिसियाँ | | |
| प्रीमियम संबंधित | | वास्तविक कमिशन दर तथा |
| नव-व्यवसाय | | प्लान 814,815,820,821,827,830,832,833,834, 836, 838 तथा 841 के लिए 15% |
| नवीकरण | | प्लान 807,814,815,820,821,827,830,832,833,834,836, 838 तथा 841 के लिए 0.03% सूक्ष्म बीमा प्लान 182 तथा 810 के लिए 0.03% अन्य प्लान के लिए 2% |
| पॉलिसी संबंधित | | |
| सूक्ष्म बीमा प्लान के लिए | | ₹ 420/-प्रति पॉलिसी प्रीमियम भुगतान के लिए ₹ 210/- प्रति पॉलिसी प्रदत्त तथा पूर्ण प्रदत्त के लिए |
| अन्य प्लानों के लिए | | ₹ 580/-प्रति पॉलिसी प्रीमियम भुगतान के लिए ₹ 290/- प्रति पॉलिसी प्रदत्त तथा पूर्ण प्रदत्त के लिए |
| 2. लाइफ - असहभागी पॉलिसियाँ | | |
| प्रीमियम संबंधित | | वास्तविक कमिशन दर तथा |
| नव-व्यवसाय | | प्लान 822,823 तथा 825 के लिए 15% सूक्ष्म प्लान 819, 829, 839 तथा 840 के लिए 1.65% |
| नवीकरण | | प्लान 822,823 तथा 825 के लिए 0.03% सूक्ष्म प्लान 198,819,829,839 तथा 840 के लिए 0.03% अवधि बीमा प्लानों 43,52,153,164,177 तथा 190 के लिए 15.03% बीमा अकाउंट प्लान (805,806) के लिए 2% अन्य के लिए 2% |
| पॉलिसी संबंधित | | |
| सूक्ष्म बीमा प्लान 198,819,829 तथा 840 के लिए | | ₹ 270/-प्रति पॉलिसी प्रीमियम भुगतान के लिए ₹ 135/- प्रति पॉलिसी प्रदत्त तथा पूर्ण प्रदत्त के लिए |
| अन्य प्लानों (बीमा अकाउंट । तथा ॥ सहित) के लिए | | ₹ 580/-प्रति पॉलिसी प्रीमियम भुगतान के लिए ₹ 290/- प्रति पॉलिसी प्रदत्त तथा पूर्ण प्रदत्त के लिए |
| 3. वार्षिकियाँ - सहभागी पॉलिसियाँ | | |
| वार्षिकियाँ भुगतान में | | ₹ 150/- प्रति पॉलिसी प्रति वर्ष तथा ₹ 140 दावा भुगतान के लिए |
| आस्थगन अवधि के दौरान | | |
| प्रीमियम संबंधित | | वास्तविक कमिशन दर तथा प्रीमियम का 2% |
| पॉलिसी संबंधित | | ₹ 580/- प्रति पॉलिसी प्रीमियम भुगतान के लिए तथा ₹ 290/-प्रति पॉलिसी लघुकृत प्रदत्त, पूर्ण प्रदत्त तथा एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए |
| 4. वार्षिकियाँ - असहभागी पॉलिसियाँ | | |
| वार्षिकियाँ भुगतान में | | ₹ 150/- प्रति पॉलिसी प्रति वर्ष तथा ₹ 140 दावा भुगतान के लिए |
| आस्थगन अवधि के दौरान | | |
| प्रीमियम संबंधित | | वास्तविक कमिशन दर तथा प्रीमियम का 2% |
| पॉलिसी संबंधित | | ₹ 580/- प्रति पॉलिसी प्रीमियम भुगतान के लिए तथा ₹ 290/-प्रति पॉलिसी लघुकृत प्रदत्त, पूर्ण प्रदत्त तथा एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए |
| 5. वार्षिकियाँ - व्यक्तिगत पेंशन प्लान | | |
| वार्षिकियाँ भुगतान में | | ₹ 150/- प्रति पॉलिसी प्रति वर्ष तथा ₹ 140 दावा भुगतान के लिए |

| | |
|---|---|
| आस्थगन अर्वाधि के दौरान प्रीमियम संबंधित | वास्तविक कमिशन दर तथा |
| नव व्यवसाय | प्रीमियम का 5% |
| नवीनीकरण | प्लान 818 के लिए प्रीमियम का 0.03% अन्य प्लानों के लिए (प्लान 818 को छोड़कर) प्रीमियम का 2% |
| पॉलिसी संबंधित | ₹ 580/- प्रति पॉलिसी प्रीमियम भुगतान के लिए तथा ₹ 290/-प्रति पॉलिसी लघुकृत प्रदत्त, पूर्ण प्रदत्त तथा एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए |
| 6.नॉन-लिंकड हेल्थ प्रीमियम संबंधित | वास्तविक कमिशन दर तथा |
| नव व्यवसाय | प्लान 904 के लिए प्रीमियम का 20% |
| नवीकरण | प्लान 903 के लिए प्रीमियम का 15.03% तथा प्लान 904 के लिए प्रीमियम का 0.03% |
| पॉलिसी संबंधित | |
| नवीकरण | मुख्य बीमित के लिए ₹ 770/- प्रति वर्ष तथा अन्य के लिए ₹ 385/- प्रति वर्ष |
| 7.यूनिट लिंकड प्रीमियम संबंधित | वास्तविक कमिशन दर तथा |
| नव व्यवसाय | प्लान 835 के लिए 7% |
| नवीनीकरण | सभी प्लानों के लिए 0.03% |
| पॉलिसी संबंधित | |
| पॉलिसियों के प्रथम वर्ष के लिए | ₹ 3000/- प्रति पॉलिसी |
| चालू पॉलिसियों के लिए | ₹ 760/- प्रति पॉलिसी |
| लघुकृत प्रदत्त तथा एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए | ₹ 380/- प्रति पॉलिसी |
| 8. लिंकड हेल्थ प्रीमियम संबंधित | |
| नवीकरण | वास्तविक कमिशन दर तथा प्रीमियम का 0.03% |
| पॉलिसी संबंधित | |
| प्रीमियम भुगतान के लिए (दावा संबंधित व्यय सहित) | ₹ 810/- प्रति पॉलिसी |
| लघुकृत प्रदत्त तथा एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए (दावा संबंधित व्यय सहित) | ₹ 405/- प्रति पॉलिसी |
| **प्रति पॉलिसी मुद्रास्फीति दर सभी प्लानों के लिए 3% प्रति वर्ष है। | |
| ***कर दरें प्लानों के लिए लागू होने के अनुसार हैं। | |
| IV) बोनस दरें: | लाभ सहित पॉलिसियों के लिए, जहाँ कहीं लागू है, भविष्य के प्रत्यावर्ती बोनस का मान वर्तमान में 31.03.2017 के घोषित स्तर पर किया गया है। मूल्यांकित बोनस दरों में मूल्यन के दिनांक यथा 31.03.2017 पर लागू टैक्स तथा अधिशेष में भारत सरकार का हिस्सा सम्मिलित है। |
| V) पॉलिसीधारक के उचित उम्मीदें: | भविष्य के बोनसों का मूल्यांकन वर्तमान घोषित दरों पर किया गया है। |
| VI)कराधान तथा शेयरधारक का स्थानांतरण | 2017-18: 31.12.2017 को समाप्त तिमाही |
| 1. लाइफ - सहभागी पॉलिसियाँ | 14.42% तथा 5% |
| 2. लाइफ - असहभागी पॉलिसियाँ | ----- |
| 3. वार्षिकियाँ - सहभागी पॉलिसियाँ | 14.42% तथा 5% |
| 4. वार्षिकियाँ - असहभागी पॉलिसियाँ | ----- |
| 5. वार्षिकियाँ - व्यक्तिगत पेंशन प्लान | टैक्स से छूट तथा 5% |
| 6. यूनिट लिंकड | ----- |
| 7. लिंकड हेल्थ | ----- |
| 8. नॉन-लिंकड हेल्थ | ----- |

| | | |
|--|---|-------------------|
| VII) घटित लेकिन सूचित नहीं हुए के लिए (आइ.बी.एन.आर.) प्रावधान का आधार | ----- | |
| VIII) मूल्यन विधि या आधार में परिवर्तन | 2017-18: 31.12.2017 को समाप्त तिमाही | |
| 1. व्यक्तिगत बीमाएँ | | |
| ए) लाइफ - सहभागी पॉलिसियाँ | | |
| ए) ब्याज | कोई परिवर्तन नहीं | कोई परिवर्तन नहीं |
| बी) व्यय | | |
| प्रीमियम संबंधित | | |
| नव-व्यवसाय | कोई परिवर्तन नहीं | |
| नवीकरण | कोई परिवर्तन नहीं | |
| पॉलिसी संबंधित | | |
| प्रीमियम भुगतान के लिए | सूक्ष्म बीमा प्लान में कोई परिवर्तन नहीं तथा अन्य में ₹ 35/- से वृद्धि | |
| लघुकृत तथा पूर्ण प्रदत्त के लिए | सूक्ष्म बीमा प्लान में कोई परिवर्तन नहीं तथा अन्य में ₹ 17.50/- से वृद्धि | |
| सी) मूद्रास्फीति | | कोई परिवर्तन नहीं |
| बी) लाइफ - असहभागी पॉलिसियाँ | | |
| ए) ब्याज | कोई परिवर्तन नहीं | कोई परिवर्तन नहीं |
| बी) व्यय | | |
| प्रीमियम संबंधित | | |
| नव-व्यवसाय | कोई परिवर्तन नहीं | |
| नवीकरण | बीमा अकाउंट प्लानों के लिए लागू नहीं (तरीका परिवर्तन) तथा अन्य प्लानों के लिए कोई परिवर्तन नहीं | |
| पॉलिसी संबंधित | | |
| प्रीमियम भुगतान के लिए | सूक्ष्म बीमा के लिए ₹ 25 की वृद्धि तथा अन्य प्लानों के लिए ₹ 35/- की वृद्धि | |
| लघुकृत तथा पूर्ण प्रदत्त के लिए | सूक्ष्म बीमा के लिए ₹ 12.50 की वृद्धि तथा अन्य प्लानों के लिए ₹ 17.50/- की वृद्धि | |
| सी) मूद्रास्फीति | | कोई परिवर्तन नहीं |
| 2. वार्षिकियाँ तथा पेंशन | | |
| ए) सहभागी पॉलिसियाँ | | |
| ए) ब्याज | कोई परिवर्तन नहीं | कोई परिवर्तन नहीं |
| बी) व्यय | | |
| वार्षिकियाँ भुगतान में | प्रति पॉलिसी के लिए ₹ 10 की वृद्धि तथा दावा भुगतान व्यय में ₹ 20 की वृद्धि। | |
| आस्थगन अवधि के दौरान | प्रीमियम संबंधित - लागू नहीं (तरीका परिवर्तन) पॉलिसी संबंधित - ₹ 35/-प्रीमियम भुगतान के लिए तथा ₹ 17.50/- लघुकृत प्रदत्त, पूर्ण प्रदत्त तथा एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए वृद्धि | |
| सी) मूद्रास्फीति | | कोई परिवर्तन नहीं |
| बी) असहभागी पॉलिसियाँ | | |
| ए) ब्याज | कोई परिवर्तन नहीं | कोई परिवर्तन नहीं |
| बी) व्यय | | |
| वार्षिकियाँ भुगतान में | प्रति पॉलिसी के लिए ₹ 10 की वृद्धि तथा दावा भुगतान व्यय में ₹ 20 की वृद्धि। | |

| | |
|--|--|
| आस्थगन अवधि के दौरान | प्रीमियम संबंधित - लागू नहीं (तरीका परिवर्तन) पॉलिसी संबंधित - ₹ 35/-प्रीमियम भुगतान के लिए तथा ₹ 17.50/- लघुकृत प्रदत्त, पूर्ण प्रदत्त तथा एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए वृद्धि |
| सी) मूद्रास्फीति | कोई परिवर्तन नहीं |
| सी) व्यक्तिगत पेंशन प्लान | |
| ए) ब्याज | कोई परिवर्तन नहीं |
| बी) व्यय | कोई परिवर्तन नहीं |
| वार्षिकियाँ भुगतान में | प्रति पॉलिसी के लिए ₹ 10 की वृद्धि तथा दावा भुगतान व्यय में ₹ 20 की वृद्धि। |
| आस्थगन अवधि के दौरान | |
| प्रीमियम संबंधित - नव व्यवसाय | लागू नहीं (तरीका परिवर्तन) |
| प्रीमियम संबंधित - नवीनीकरण | लागू नहीं (तरीका परिवर्तन) |
| पॉलिसी संबंधित | ₹ 35/-प्रीमियम भुगतान के लिए तथा ₹ 17.50/- लघुकृत प्रदत्त, पूर्ण प्रदत्त तथा एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए वृद्धि |
| सी) मूद्रास्फीति | कोई परिवर्तन नहीं |
| 3. नॉन-लिंकड हेल्थ | |
| ए) ब्याज | कोई परिवर्तन नहीं |
| बी) व्यय | कोई परिवर्तन नहीं |
| प्रीमियम संबंधित | |
| नव व्यवसाय | लागू नहीं (तरीका परिवर्तन) |
| नवीकरण | लागू नहीं (तरीका परिवर्तन) |
| पॉलिसी संबंधित | मुख्य बीमित के लिए ₹ 50 की वृद्धि तथा अन्य के लिए ₹ 25 की वृद्धि |
| सी) मूद्रास्फीति | कोई परिवर्तन नहीं |
| 4. यूनिट लिंकड | |
| ए) ब्याज | कोई परिवर्तन नहीं |
| बी) व्यय | कोई परिवर्तन नहीं |
| प्रीमियम संबंधित | लागू नहीं (तरीका परिवर्तन) |
| पॉलिसी संबंधित | |
| पॉलिसियों के प्रथम वर्ष के लिए | लागू नहीं (पहली बार प्रस्तुत) |
| चालू पॉलिसियों के लिए | ₹ 50/- से वृद्धि |
| लघुकृत प्रदत्त तथा एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए | ₹ 25/- से वृद्धि |
| सी) मूद्रास्फीति | कोई परिवर्तन नहीं |
| 5. लिंकड हेल्थ | |
| ए) ब्याज | कोई परिवर्तन नहीं |
| बी) व्यय | कोई परिवर्तन नहीं |
| प्रीमियम संबंधित | |
| नवीकरण | लागू नहीं (तरीका परिवर्तन) |
| पॉलिसी संबंधित | |
| प्रीमियम भुगतान के लिए | प्रति पॉलिसी ₹ 30/- से वृद्धि |
| लघुकृत प्रदत्त तथा एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए | प्रति पॉलिसी ₹ 15/- से वृद्धि |
| सी) मूद्रास्फीति | कोई परिवर्तन नहीं |